रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 169] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 23, 2015/चैत्र 2, 1937
No. 169] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 23, 2015/CHAITRA 2, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2015

सा.का.नि. 220 (अ).— केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में नियम 2, उप-नियम (1), खंड (i) में अंत में आने वाले "मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59)" शब्दों, आंकड़ों और कोष्ठकों के पश्चात् "और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम" अंत:स्थापित किए जाएंगे।

3. मूल नियम के नियम 4 में उपनियम 2 के पश्चात् स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा।

4. मूल नियमों के नियम 10 में उपनियम 1 में "नियम 4 के उप नियम (2) के अधीन इसकी श्रेणी के लिए विनिर्दिष्ट भार" शब्दों, कोष्ठकों और आंकड़ों के लिए शब्द "ऐसे वाहन के संबंध में अधिकतम सकल यान भार" रखे जाएंगे।

[फा. सं. एच-25016/01/2014-टोल]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. सं. 838 (अ) 5 दिसम्बर, 2008 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. सं. 950 (अ) 3 दिसम्बर, 2010; सा.का.नि. सं. 15 (अ) 12 जनवरी, 2011; सा.का.नि. सं. 756 (अ) 12 अक्तूबर, 2011; सा.का.नि. सं. 778 (अ) 16 दिसंबर, 2013; सा.का.नि. सं. 26 (अ) 16 जनवरी, 2014; सा.का.नि. सं. 831 (अ) 21 नवम्बर, 2014 और सा.का.नि. सं. 02 (अ) 29 दिसंबर, 2014 के द्वारा संशोधित किए गए थे ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 2015

G.S.R. 220(E).—In exercise of the powers conferred by section 9 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, namely:-

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 2, in sub-rule (1), in clause (i), after the words, figures and brackets "the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988)" occurring at the end, the words "and the rules made there under" shall be inserted.

3. In rule 4 of the principal rule, the Explanation after sub-rule 2 shall be omitted.

4. In rule 10 of the principal rules, in sub-rule 1, for the words, brackets and figures "load specified for its category under sub-rule (2) of rule 4", the words "maximum gross vehicle weight in respect of such vehicle" shall be substituted.

[F. No. H-25016/01/2014-Toll]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.

Note : The Principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) published in the Gazette of India *vide* G.S.R. No. 838 (E) dated the 5th December, 2008 and subsequently amended *vide* G.S.R. No. 950(E) dated the 3rd December, 2010; G.S.R. No. 15(E) dated the 12th January, 2011; G.S.R No. 756(E) dated the 12th October, 2011; G.S.R. No. 778(E) dated the 16th December, 2013; G.S.R. No. 26(E) dated the 16th January, 2014; G.S.R. No. 831(E) dated the 21st November, 2014; and G.S.R. No. 02(E) dated 29th December, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.